104

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 125–दो/2002 विरूद्ध आदेश, दिनाक 29–12–2000 पारित द्वारा अपर बंदोबस्त आयुक्त म0 प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 02/95–96/अपील.

1 छोटे सिंह पुत्र रामसिंह
2 शकुन्तला देवी बेवा कोमल सिंह
3 वीरेन्द्र सिंह
4 हरनाम सिंह
5 राजकुमार सिंह
6 बृजेन्द्र सिंह
कमांक 3 से 6 पुत्रगण कोमल सिंह
7 बाबू सिंह पुत्र रामसिंह
8 भैरोसिंह पुत्र सुधर सिंह
9 महिला सावित्री बेवा सुधर सिंह
समस्त निवासीगण ग्राम जामुना तहसील व जिला भिण्ड

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 भगवान सिंह
2 नारायण सिंह
पुत्रगण रामसिंह समस्त निवासीगण
ग्राम जामुना तहसील व जिला भिण्ड

–अनावेदकगण

श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18-7-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर बंदोबस्त आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 02/95–96/अपील में पारित आदेश दिनांक 29–12–2000 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम जामना तहसील भिण्ड में स्थित प्रश्नाधीन भूमि खाता कमांक 77 कुल किता 13 कुल रकबा 7.421 हैक्टेयर का बंटवारा कराये जाने बाबत तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 178 के अंतर्गत गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 01/92–93/अ–27 पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 9–3–94 से बंटवारा आदेश किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा उक्त बंटवारा आदेश दिनांक 9–3–94 से परिवेदित होकर गैर निगरानीकर्ता–1 भगवान सिंह द्वारा अपील कलेक्टर एवं बन्दोबस्त अधिकारी, भिण्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी । कलेक्टर एवं बंदोबस्त अधिकारी भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 76/93–94/अपील माल पर दर्ज करते हुये अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित बंटवारा आदेश निरस्त करते हुए घरू बंटवारा के अनुसार जो फर्द प्रस्तुत की गयी है, उसके आधार पर बंटवारा किया जावे । उक्त आदेश से व्यथित होकर निगरानीकर्तागण द्वारा द्वितीय अपर बंदोबस्त आयुक्त म0 प्र0 ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गयी । जो प्रकरण कमांक 02/95–96/अपील पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 29–12–2000 से अपील निरस्त की गयी । अपर बंदोबस्त आयुक्त, म0 प्र0 ग्वालियर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।

3/ प्रकरण में निगरानी में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया ।

4/ निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क पेश किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में जांच करने के बाद विधिवत बंटवारा किये जाने का आदेश दिया गया था, जिसे पलटने का कोई औचित्य नहीं था । निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है । कलेक्टर एवं बंदोबस्त अधिकारी, भिण्ड ने अपने आदेश में विस्तृत विवेचना करते हुये यह पाया है कि अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य एवं सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा स्थल निरीक्षण के आधार पर भेजे गये प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि समस्त सह खातेदारों की सहमति से घरू बंटवारा उनके पिता राम सिंह द्वारा अपने जीवन काल में ही साक्षियों के समक्ष कर दिया गया था। प्रकरण में गैर निगरानीकर्तागण द्वारा आवेदन पत्र जिसके तहत बंटवारा चाहा गया था, उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी पिता राम सिंह के द्वारा अपने जीवन काल में 30 वर्ष पूर्व आपसी सहमति के आधार पर घरू बंटवारा किया जा चुका है, उसी के अनुसार सहखातेदार अपने अपने हिस्से पर कृषि कार्य कर रहे हैं, बंटवारा किया जावे । उसी के अनुसार फर्द बंटवारा तैयार किया गया । किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा फर्द के अनुसार बंटवारा न करते हुये आदेश पारित किया गया था, जिसे कलेक्टर एवं बंदोबस्त अधिकारी, जिला भिण्ड द्वारा निरस्त करने में कोई अनियमितता नहीं की गयी है । वैसे भी सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील नहीं होती है । 2014 रेवेन्यू निर्णय 220 गुड्डीबाई तथा अन्य विरूद्ध बलवीर सिंह तथा अन्य में राजस्व मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 44 तथा 178–अपील का चलाने योग्य होना–सहमति से विभाजन का आदेश–ऐसे आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी । निगरानीकर्तागण की ओर से यह तर्क भी पेश किया गया है कि राम सिंह द्वारा कोई घरू बंटवारा नहीं किया गया है, किन्तु इसके संबंध में निगरानीकर्तागण द्वारा कोई ठोस आधार अथवा प्रमाण

प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । साक्ष्य के अभाव में निगरानीकर्तागण का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है । 1996 रेवेन्यू निर्णय 33 भुवन तथा अन्य विरूद्ध नागू में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कोटोम्बिक व्यवस्था के अंतर्गत पक्षकारों के मध्य आपसी मौखिक विभाजन होने पर स्वतंत्र तथा पृथक कृषि करते हुये कब्जा 30–35 वर्ष तक अविच्छिन्न रही ऐसी व्यवस्था को किसी एक पक्षकार की मांग पर विक्षुव्म नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार निगरानीकर्तागण अपना पक्ष रखने में विफल रहे हैं ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर बंदोबस्त आयुक्त, म0 प्र0 ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–12–2000 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है तथा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने के कारण निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर